न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 230/09 (वाद)

1. श्री पनसिंह पिता एमानसिंह राव निवासी आसोलियों की मादडी तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. श्री दल्ला पिता मोती मेघवाल निवासी गढवाडा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।
2. राजपेरोकार मावली, प्रतिवादी सं. 1 व 2

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक : 07.02.2020

1. वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188, 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव भीमल पटवार हल्का भीमल तहसील मावली की आराजी नम्बर 1240/1302 किता 1 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि ग्राम आसोलियों की मादडी की सीमा पर स्थित होकर वादी की अन्य भूमि के अन्दर मिली होकर वादी के आधिपत्य में अपने पिता के समय से आज तक लगातार 50 वर्षों से चली आ रही है। सरकारी रेकर्ड में भी वादी के आधिपत्य में अंकित हैं।
2. उक्त भूमि का फर्जी आवंटन प्रतिवादी सं. 3 के नाम पर गुप्त रूप से कर दिया गया जिसका कोई ज्ञान किसी को नहीं होने दिया गया क्योंकि राज्य सरकार स्वंय ने प्रतिवादी सं. 3 को किये गये आवंटन की दिनांक को आधिपत्य नहीं था इसी कारण से तथाकथित आवंटन केवल कागजों में रहा। उक्त आंवटन की क्रियान्विति आज तक नहीं हुई। उक्त आवंटन को खारिज करने की कार्यवाही भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त किये गये गलत आवंटन को निरस्त फरमाये जाने हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को धारा 80 दीवानी प्रक्रिया

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

Scanned with CamScanner

संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 28.12.2008 को प्रदान किया गया जो कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को दिनांक 29.12.2008 को प्राप्त हो गया किन्तु वादी द्वारा प्रदान किये गये नोटिस की कोई पालना प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई। जिसकी वजह से वादी को विवश होकर माननीय न्यायालय में उक्त वाद संस्थित करना पड रहा हैं।

3. वादी का उक्त भूमि पर आधिपत्य होने के कारण धारा 91 (3) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही बराबर की जाती रही है यानि वादी का आधिपत्य बराबर स्वीकार किया जाता रहा है तथा पिछले 50 वर्षों से कभी वादी को बेदखल नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उक्त किये गये आंवटन को खारिज कराये जाने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है किन्तु उक्त आंवटन विधि विरूद्व होने से खारिज होगा किन्तु केवल मात्र प्रतिवादी सं. 3 का आंवटन खारिज किये जाने मात्र से वादी को किसी प्रकार की अन्य दाद प्राप्त नहीं होगी ऐसी स्थिति में उक्त आंवटन को खारिज फरमाया जावें व उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को विधि प्रदत्त सिद्धान्तों के अनुसार यानि धारा 27 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत व धारा 63 (4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं।

4. वादी एवं उसके परिवार की जीविकोपार्जन का साधन एक मात्र कृषि पर आधारित है एवे वादी की मौके पर बाउण्ड्रीवाल बनी होकर उक्त भूमि को कृषि उपयोग हेतु बनाया हैं। उक्त भूमि वादी की अन्य आराजीयात के साथ मिली होकर अलगर से उक्त आराजी नहीं हैं।

5. वादी का आधिपत्य उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के ज्ञान में लगातार 50 वर्षों से आज तक बिना किसी दखल के स्वतन्त्रापूर्वक चला आ रहा है एवं धारा 91 एल. आर. एक्ट. के अन्तर्गत की गई कार्यवाही भी यह प्रदर्शित करती है कि कब्जा वादी का है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई वादी के आधिपत्य की स्वीकारोक्ति तथा विधि प्रदत्त सिद्धान्तों के अनुसार वादी उक्त भूमि का विधिक खातेदार काश्तकार हो गया है जिसके लिए वादी की ओर से धारा 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 को प्रदान किया जिन्होनें भी नोटिस में अंकित बिन्दुओं की स्वीकारोक्ति स्वरूप कोई जवाब दिया जाना सम्भव नहीं था यानि विधि प्रदत्त सिद्धान्तों के अनुसार वादी का आधिपत्य प्रतिकूल आधिपत्य की श्रेणी में आता है तथा वादी विधि प्रदत्त सिद्धान्तों के अनुसार खातेदार काश्तकार

Akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) भावली

Scanned with CamScanner

हो गया है इस हेतु वादी की ओर से इस सम्बन्ध में घोषणा फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं।

6. वादी द्वारा वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है किन्तु वादी को बेदखल किये जाने की जो मयाद थी वह समाप्त हो चुकी है ऐसी स्थिति में उन्हें बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है फिर भी असंवैधानिक तरीके से वादी को मौके से प्रतिवादी सं. 1 व 2 बेदखल करना चाहते है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराया जाना आवश्यक है कि वो वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे और वादी द्वारा की जा रही कृषि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी एवं बाधा उत्पन्न नहीं करें।

7. वाद कारण दिनांक 29.12.2008 को उत्पन्न हुआ जबकि धारा 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिवादीगण को प्रदान किया गया नोटिस प्रतिवादीगण को मिला एवं उसकी 2 माह की मयाद समाप्ति की दिनांक को तथा प्रतिवादी सं. 3 को भी दिनांक 28.12.2008 व पश्चात् बराबर निवेदन किया जाता रहा कि वह वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे किन्तु फिर भी वादी को बेदखल करने हेतु अन्तिम रूप से दिनांक 23.10.2009 प्रतिवादी सं. 3 बेदखल करने के लिए आया यही वाद कारण ग्राम भीमल में उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी सं. 3 के खिलाफ वाद कारण उत्पन्न हुआ।

8. वादी एवं प्रतिवादीगण का कार्यालय एवं निवास श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में स्थित है तथा वादग्रस्त भूमि भी श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में स्थित है तथा वाद कारण भी श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न हुआ इस कारण इस वाद का श्रवणाधिकार भी श्रीमान् के न्यायालय को अधीक्षेत्र हैं।

9. वाद की मालियत 10,000/— दस हजार रूपया हो नियत न्याय शुल्क पर नियत अवधि में प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें। इस आशय की घोषणा फरमाई जाना आवश्यक है कि मौजा भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 1240/1302 रकबा 4 बीघा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण के खिलाफ के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावें कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि में प्रवेश नहीं करे तथा वादी द्वारा की जा रही कृषि की हकाई, बुवाई, निन्दाई आदि में किसी प्रकार की विघ्न एवं बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त कार्य न तो स्वंय करे न अपने किसी रिश्तेदार, मजदूर, एजेन्ट आदि से करावें। अन्य कोई

सहायक कलक्टर (SDO) मावली

Scanned with CamScanner

प्रतिकार जो धारा 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रदान कराया जा सकता हो वो प्रदान किया जावे।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा भीमल की आराजी नम्बर 1240/1302 रकबा 4 बीघा भूमि ग्राम आसोलिया की मादडी की सीमा पर स्थित हैं। वादी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं। वर्तमान में भूमि काफी मूल्यवान हैं। राज्य सरकार को अपने जनहित कार्यो हेतु भूमि की आवश्यकता रहेगी। वादी द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वाद तथ्यहीन होने से खारिज योग्य हैं।

11. प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र के रूप में पीडब्ल्यू–1 श्री पनसिंह के बयान कलमबद्व कराये।

12. वादी द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात जमाबन्दी प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदया का निर्णय प्रदर्श 3, पर्चा मौका प्रदर्श 4, सूचना पत्र प्रदर्श 5, पोस्टल रसीद प्रदर्श 6,7, प्राप्ति रसीद प्रदर्श 8,9, लगान रसीद प्रदर्श 10 पेश की गई है।

13. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया मौजा भीमल पटवार मण्डल भीमल की आराजी नम्बर 1240/1302 रकबा 4 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकार्ड है किन्तु पिछले 50 वर्षों से वादी काबिज होकर काश्त कर रहे है जिससे वादीगण खातेदार काश्तकार बन चुके है इस कारण से वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी हैं। ....वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि पूर्व में बिलानाम होकर मुझ प्रतिवादी सं. 3 को आवंटन होकर नाम दर्ज हुई। मैं प्रतिवादी सं. 3 जाति से मेघवाल होकर अनुसूचित जाति का हूं एवं वादी सामान्य वर्ग से होने से भूमि में कोई हक अधिकार नही हैं। ....प्रतिवादी सं. 3

3. आया वादग्रस्त भूमि वर्तमान में बिलानाम भूमि दर्ज है एवं बिलानाम भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 3 का कभी कब्जा नहीं रहने से कोई हक अधिकार नहीं हैं। ....प्रतिवादी सं. 1 व 2

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

4. दादरसी।

14. अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री पनसिंह पेश कियां। राजपैरोकार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी एवं राजपैरोकार की बहस को सूना गया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान के बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

1. आया मौजा भीमल पटवार मण्डल भीमल की आराजी नम्बर 1240/1302 रकबा 4 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकार्ड है किन्तु पिछले 50 वर्षों से वादी काबिज होकर काश्त कर रहे है जिससे वादीगण खातेदार काश्तकार बन चुके है इस कारण से वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजात जमाबन्दी प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदया का निर्णय प्रदर्श 3, पर्चा मौका प्रदर्श 4, सूचना पत्र प्रदर्श 5, पोस्टल रसीद प्रदर्श 6,7, प्राप्ति रसीद प्रदर्श 8,9, लगान रसीद प्रदर्श 10 एवं साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 श्री पनसिंह का पेश किया। प्रकरण में वादी द्वारा विगत 50 वर्षों से भूमि पर अपना कब्जा बताया हैं। दस्तावेज प्रदर्श 4 में भू.अ. निरीक्षक डबोक द्वारा अपनी रिपोर्ट 28.07.2008 में कब्जा पनसिंह का बताया हैं। कब्जे के स्वरूप रसीद प्रदर्श 10 पेश की हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूमि पर कब्जा पनसिंह का होना जाहिर आया हैं। परन्तु 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा होने का कोई भी प्रमाण वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया हैं। जिससे यह साबित हो सके कि लगातार 50 वर्षों से पनसिंह का कब्जा चला आ रहा हैं। भू.अ. निरीक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट प्रदर्श 4 में केवल कब्जा माना हैं।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

कब्जे की अवधि का कही कोई वर्णन नहीं किया हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का कोई नियम नहीं हैं, जिसके तहत् वादी कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो सके। अतः उक्त तनकी को वादी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

2. आया वादग्रस्त भूमि पूर्व में बिलानाम होकर मुझ प्रतिवादी सं. 3 को आवंटन होकर नाम दर्ज हुई। मैं प्रतिवादी सं. 3 जाति से मेघवाल होकर अनुसूचित जाति का हूं एवं वादी सामान्य वर्ग से होने से भूमि में कोई हक अधिकार नही हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी सं. 3 पर रहा। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सूचना रहने पर दिनांक 19.12.19 को प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अतः उक्त तनकी को निर्णित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

3. आया वादग्रस्त भूमि वर्तमान में बिलानाम भूमि दर्ज है एवं बिलानाम भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 3 का कभी कब्जा नहीं रहने से कोई हक अधिकार नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी सं. 1 व 2 पर रहा। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने समर्थन में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं की। पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 4 के अवलोकन से प्रतिवादी सं. 3 का कब्जा नहीं होकर वादी का कब्जा होने का कथन कर रखा हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में आंशिक निर्णित की जाती हैं।

17. उपरौक्त विवेचन, तनकीवार निर्णयन, दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी सं. 3 के नाम पर दर्ज थी। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 3 को राज्य सरकार से आंवटन की गई थी। जिसका आवंटन निरस्त का प्रार्थना पत्र वादी द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर के यहां दर्ज करवाया गया। जिसमें जिला कलक्टर महोदय के प्रकरण सं. 06/10 निर्णय दिनांक 23.01.2012 प्रदर्श 3 से वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 3 का आवंटन दिनांक 30.01.83 (21.03.83) का निरस्त कर भूमि बिलानाम दर्ज करने का आदेश

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

पारित किया गया। जिसकी पालना में वादग्रस्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई।

18. वर्तमान में वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 3 का कब्जा नहीं हैं। दस्तावेजों के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा होना जाहिर आया हैं। वादी द्वारा लगभग 50 वर्षों से अपना कब्जा होने का कथन किया है जबकि वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिसके आधार पर लगातार 50 वर्षों से निर्विघ्न कब्जा चले आने का तथ्य साबित हो सकें।

19. वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा लगातार 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) के तहत् खातेदारी दर्ज कराने का निवेदन किया है। वादी द्वारा निरन्तर कब्जे के तथ्य को साबित नहीं करा पाया हैं, तनकी सं. 1 भी वादी के विरूद्व निर्णित हुई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निरन्तर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 63 (4) में खातेदारी अधिकार के अवसान होने का अंकन हैं। खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। उक्त भूमि में वादी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री पनसिंह पिता एमानसिंह राव निवासी आसोलियों की मादडी तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. श्री दल्ला पिता मोती मेघवाल निवासी गढवाडा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,63(4) राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 230/09 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.02.2020 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली